भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
27 अगस्त, 2025 को अपराह्न 03:00 बजे सीनेट कक्ष
में आयोजित सीनेट की 235वीं बैठक का कार्यवृत्त

27 अगस्त, 2025 को अपराह्न 03:00 बजे सीनेट कक्ष में सीनेट की 235वीं बैठक आयोजित की गई। सीनेट की बैठक में उपस्थित सदस्यों/विशेष आमंत्रितों के नाम [परिशिष्ट-ए] में दिए गए हैं।

कोरम की अनुपलब्धता के कारण, बैठक 03: 05 बजे स्थगित कर दी गई और 03:00 बजे फिर से शुरू हुई।

शुरुआत में, सीनेट के अध्यक्ष ने निवर्तमान सदस्य प्रो. आर. उमा, ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरी विभाग को सीनेट में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद दिया।

<u>मद सं. 1: 30 जुलाई, 2025 को हुई सीनेट की 234 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि</u>

30 जुलाई, 2025 को हुई सीनेट की 234 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

<u>मद सं. 2: सीनेट की पिछली बैठकों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट</u>

सीनेट की पिछली बैठकों के निम्नलिखित मामलों पर की गई कार्रवाई बैठक में प्रस्तुत की गईः

(i) अद्यतित पीएच.डी. अध्यादेश

सूचित किया गया कि अद्यतित पीएच.डी. अध्यादेशों को बोर्ड द्वारा 31.07.2025 को आयोजित अपनी 222वीं बैठक में अनुमोदित किया था।

(ii) आई.आई.टी. दिल्ली और सोरबोन विश्वविद्यालय, पेरिस, फ्रांस के बीच संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों के प्रस्ताव पर विचार करना।

सूचित किया गया कि बोर्ड ने 31.07.2025 को आयोजित अपनी 222वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके अलावा, एम.एससी. कार्यक्रम के लिए सामान्य सी.जी.पी.ए. के निर्धारण के प्रस्ताव को शीघ्र ही सीनेट में वापस लाया जाएगा।

(iii) संशोधित संयुक्त डिग्री नीति पर विचार करना।

सूचित किया गया कि सीनेट ने 30 जुलाई, 2025 को आयोजित अपनी 234 वीं बैठक में कुछ परिवर्तनों के साथ संयुक्त डिग्री नीति को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। यह भी निर्णय लिया गया कि विस्तृत दिशा-निर्देशों और कार्यान्वयन नीति को सीनेट में वापस लाया जाए। तदनुसार, विस्तृत दिशा-निर्देश और कार्यान्वयन नीति (परिशिष्ट 1) को सीनेट के समक्ष रखा गया। सीनेट ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे चार सप्ताह के भीतर संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) के कार्यालय को टिप्पणियां/प्रतिक्रिया प्रदान करें।

<u>मद सं. 3: (क) पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स: पुराने पाठ्यक्रम जिनकी पाठ्यक्रम नंबरिंग बदली गई है (ख) पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स: नए पाठ्यक्रम पर विचार करना।</u>

सीनेट ने (क) पुराने पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम टेम्प्लेट जिनमें पाठ्यक्रम नंबरिंग में बदलाव किया गया हो और (ख) नए पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम टेम्प्लेट पर विचार किया गया। चर्चा के बाद, निम्नलिखित पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया। सीनेट ने संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) और UGCIC/PGCIC को पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स/ पाठ्यक्रम संख्या में मामूली बदलावों को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया:

(क) पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स: बदली गई पाठ्यक्रम संख्या के साथ पुराने पाठ्यक्रम:

नया पाठ्यक्रम कोड	पाठ्यक्रम शीर्षक	लिंक	पूर्व कोड
COV8378	मशीन लर्निंग I में विशेष मॉड्यूल	https://courses.iitd.ac.in/courses/special-module-machine learning-i	COV878
COV8379	मशीन लर्निंग II में विशेष मॉड्यूल	https://courses.iitd.ac.in/courses/special-module-machine learning-ii	COV879

(ख) पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स: नए पाठ्यक्रम:

पाठ्यक्रम सं.	पाठ्यक्रम शीर्षक	लिंक
COV8490	हार्डवेयर सिस्टम में विशेष मॉड्यूल	https://courses.iitd.ac.in/courses/speci al-module-hardware-systems
COV8691	इमेज विश्लेषण के लिए ए.आई. में विशेष मॉड्यूल	https://courses.iitd.ac.in/courses/speci al-module-ai-image-analysis
COV8690	विजुअल कम्प्यूटिंग में विशेष मॉड्यूल	https://courses.iitd.ac.in/courses/speci al-module-visual-computing
COL8691	इमेज विश्लेषण के लिए ए.आई. में विशेष विषय	https://courses.iitd.ac.in/courses/speci al-topics-ai-image-analysis
COL8690	विजुअल कम्प्यूटिंग में विशेष विषय	https://courses.iitd.ac.in/courses/speci al-topics-visual-computing

मद सं. 4: आई.आई.टी. दिल्ली के स्नातकोत्तर कार्यक्रम में सभी अंतरराष्ट्रीय आवेदकों के लिए संशोधित शॉर्टलिस्टिंग मानदंडों पर विचार करना

सह संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक (स्नातकोत्तर अनुसन्धान) ने सीनेट को आई.आई.टी. दिल्ली के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय आवेदकों के लिए शॉर्टलिस्टिंग मानदंडों के बारे में वर्तमान नियमों के बारे में सूचित किया। यह भी बताया गया कि भारतीय संस्थानों से योग्यता डिग्री के साथ विदेशी आवेदकों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें कहा गया था कि उनमें से कई तो भारत में आयोजित होने वाली योग्यता परीक्षाओं (जैसे गेट, यू.जी.सी.-नेट आदि) के बारे में अनभिज्ञ हैं, या परीक्षा की तारीखों के दौरान देश में उनकी उपस्थिति की गारंटी नहीं है।

इसलिए, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के संस्थान के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, भारतीय संस्थानों से योग्यता डिग्री के साथ विदेशी आवेदकों के लिए योग्यता परीक्षा की आवश्यकता में छूट देने का प्रस्ताव रखा गया।

इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। विचार-विमर्श के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह सुझाव दिया गया कि पी.आई.ओ. और ओ.सी.आई. पर यह नीति कैसे लागू होती है, इस बारे में कानूनी सलाह ली जाए और इसे प्रस्ताव के अनुलग्नक के रूप में शामिल किया जाए।

संकल्प सं. 2025/235/1:	निर्णय लिया गया कि: आई.आई.टी. दिल्ली के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए भारतीय संस्थानों से योग्यता डिग्री के साथ अंतरराष्ट्रीय आवेदकों के लिए योग्यता

	परीक्षाओं (जैसे गेट, यू.जी.सी.-नेट आदि) की आवश्यकता में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए (परिशिष्ट 2)।

मद सं. 5: पाठ्यक्रम वापसी के लिए एक संशोधित नीति पर विचार करना।

संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) ने पाठ्यक्रम वापसी के लिए संशोधित नीति प्रस्तुत की। इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। विचार-विमर्श के बाद, पाठ्यक्रम की वापसी के लिए संशोधित नीति को मंजूरी दी गई, जिसे अगले सेमेस्टर यानी दूसरे सेमेस्टर 2025-26 से लागू किया जाना था। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में कोर पाठ्यक्रमों के लिए इस नीति में संशोधन किया जा सकता है। सदस्यों से अनुरोध किया गया कि यदि कोई हो, तो वे संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) के कार्यालय को अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करें।

संकल्प सं. 2025/235/2:	निर्णय लिया गया कि: पाठ्यक्रम वापसी के लिए संशोधित नीति को मंजूरी दी जानी चाहिए (परिशिष्ट 3)।

मद सं. 6: संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत को फिर से परिभाषित करने पर विचार करना ।

सह संकायाध्यक्ष (पाठ्यक्रम) ने संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत को फिर से परिभाषित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। विचार-विमर्श के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह सुझाव दिया गया कि विभिन्न नीतियों, लाभों और प्रोत्साहनों पर सी.जी.पी.ए. की इस नई परिभाषा के संभावित प्रभाव पर एक समिति द्वारा चर्चा की जा सकती है और बाद में सीनेट में लाया जा सकता है।

संकल्प सं. 2025/235/3:	निर्णय लिया गया कि: संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत को फिर से परिभाषित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी जाए (परिशिष्ट 4) ।

मद सं. 7: नए पाठ्यक्रम की अवधारणा नोट पर विचार और चर्चा करना।

सह संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक (पाठ्यक्रम) ने पाठ्यक्रम समीक्षा 2025 के लिए अवधारणा नोट की बची हुई उन मदों को प्रस्तुत किया, जिन पर पिछली सीनेट की बैठकों में बात नहीं हो पाई थी। पीएच.डी. विद्यार्थियों के लिए एक्ज़िट नीति और अनुसंधान सशक्तिकरण पर चर्चा हुई। विस्तृत चर्चा के बाद, सीनेट ने निम्नलिखित निर्णय लियाः

1. एक्ज़िट नीतिः बी.टेक, एम.एससी., एम.बी.ए., एम.एस. (आर.) और एम. टेक. और पीएच.डी. कार्यक्रमों के लिए एक्ज़िट नीति प्रस्तुत की गई। निम्नलिखित पर चर्चा की गईः

(क) बी.टेक.: यह प्रस्ताव किया गया कि 34 क्रेडिट (18 बी.एस., 12 जी.ई., 4 डी.सी.) पूरा होने पर, विद्यार्थी आई.आई.टी. दिल्ली से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पात्र होंगे। 72 क्रेडिट (जिसमें 24 बी.एस., 18 जी.ई., डी.सी. 21 शामिल है) पूरा करने के बाद, वे आई.आई.टी. दिल्ली से जुड़ने के पात्र हो जाते हैं। 108 क्रेडिट (जिसमें 24 बी.एस., 24 जी.ई. और डी.सी./डी.ई. के न्यूनतम 36 क्रेडिट शामिल है) के पूरा होने के बाद, वे आई.आई.टी. दिल्ली के इंटरमीडिएट बैचलर ऑफ़ टेक्नॉलजी

के पात्र हो जाते हैं। यदि वे 46 डी.सी./डी.ई. क्रेडिट पूरा करते हैं, तो वे डिसिप्लिन इंटरमीडिएट बैचलर ऑफ़ टेक्नॉलजी की डिग्री के पात्र हो जाते हैं।

इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। विचार-विमर्श के बाद, बी. टेक. कार्यक्रमों के लिए **एक्ज़िट** नीति पर सहमति बनी। यह सुझाव दिया गया कि किसी कार्यक्रम से बीच में बाहर निकलने वाले विद्यार्थी को दिए जाने वाले प्रमाणपत्र/डिप्लोमा की नामावली (nomenclature) के संबंध में अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से जानकारी प्राप्त की जाए। साथ ही पुनः प्रवेश (re-entry) के विकल्प की संभावना का भी अन्वेषण करने का सुझाव दिया गया। **तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि प्रदान किए जाने वाले प्रमाणपत्र/डिप्लोमा की नामावली और पुनः प्रवेश के विकल्प से संबंधित प्रस्ताव को सीनेट की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।**

(ख) **एम.ए. / एम.पी.पी./ एमएस.सी.** : यह प्रस्ताव रखा गया कि एक वर्ष और न्यूनतम 36 क्रेडिट के पूरा होने पर, विद्यार्थी पी.जी. डिप्लोमा के पात्र होगें। ऐसे एक्ज़िट की अनुशंसा डी.आर.सी./सी.आर.सी./एससी.आर.सी. द्वारा की जानी चाहिए। विचार-विमर्श के बाद **एम.ए. / एम.पी.पी./ एमएस.सी.** कार्यक्रमों के लिए एक्ज़िट नीति पर सहमति व्यक्त की गई।

(ग) एम.एस (आर) और एम. टेक: यह प्रस्ताव रखा गया कि एक वर्ष और न्यूनतम 30 क्रेडिट के पूरा होने पर, विद्यार्थी पी.जी. डिप्लोमा के पात्र होगें। ऐसे एक्ज़िट की अनुशंसा डी.आर.सी./सी.आर.सी./एससी.आर.सी. द्वारा की जानी चाहिए। छात्रवृत्ति/टीए-शिप तुरंत बंद हो जाएगी। विचार-विमर्श के बाद, एम.एस. (आर.) और एम. टेक. कार्यक्रमों के लिए एक्ज़िट नीति पर सहमति व्यक्त की गई।

(घ) पीएच.डी.: यह बताया गया कि किसी भी शैक्षणिक इकाई में एम.एस. (आर.) एक्ज़िट डिग्री होगी, बशर्ते कि विद्यार्थी एम.एस. (आर.) के लिए सभी पाठ्यक्रम आवश्यकताओं को पूरा करता हो, जिसमें **एक्ज़िट** डिग्री के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के भीतर थीसिस को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करना भी शामिल है। पर्याप्त कार्य किए जाने पर एस.आर.सी. की अनुशंसा के साथ ही एक्ज़िट विकल्प का लाभ उठाया जा सकता है। एक्ज़िट विकल्प का लाभ केवल तभी उठाया जा सकता है जब किसी विद्यार्थी ने पीएच.डी. डिग्री के लिए उम्मीदवार के रूप में या तो प्रयास किया है या सफलतापूर्वक पंजीकृत किया है।

2. अनुसंधान सशक्तिकरण: पीएच.डी. विद्यार्थियों के अनुसंधान सशक्तिकरण के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया और सिद्धांत रूप में सहमति व्यक्त की गई। सिनॉप्सिस जमा करने से पहले अनुसंधान सशक्तिकरण की आवश्यकता पूरी की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम अवधारणा नोट में प्रस्तावित दो विकल्पों के अलावा, यह सहमति बनी कि अकादमिक इकाइयां इस पाठ्यक्रम की आवश्यकता को अन्य तरीकों से लागू कर सकती हैं, जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, और बी.ए.पी. और सीनेट की मंजूरी के बाद में **संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक)** कार्यालय को सूचित करते हैं। सीनेट के अब तक के सभी प्रस्तावों को शामिल करते हुए संशोधित पाठ्यक्रम अवधारणा नोट https://owncloud .iitd. ac. in/nextcloud/index. php/s/p7qzSqQ2iopABQP पर उपलब्ध हैं।

मद सं. 8: स्कूल ऑफ़ पब्लिक पॉलिसी के एक विद्यार्थी के पीएच.डी. स्टेटस को इंटरमीडिएट एम.एस.(आर.) डिग्री में बदलने के लिए एक्ज़िट विकल्प पर विचार करना

सीनेट को सूचित किया गया कि सीनेट के संकल्प संख्या S./21/2018 के अनुसार विद्यार्थियों को पीएच.डी. कार्यक्रम में एम.एस.(आर.) को एक **एक्ज़िट** विकल्प बनाने की अनुमति दी गई है। हालांकि, कुछ मामलों में, ऐसी शैक्षणिक इकाइयाँ, जहाँ वर्तमान में एम.एस. (आर) कार्यक्रम संचालित नहीं है, पीएच.डी. कार्यक्रम से **एक्ज़िट** विकल्प के रूप में एम.एस. (आर) डिग्री प्रदान करने में असमर्थ हैं।

तदनुसार, यह प्रस्ताव किया गया कि, शैक्षणिक इकाइयां मामले-दर-मामले आधार पर एम.एस.(आर.) की **एक्ज़िट** विकल्प के रूप में अनुशंसा कर सकती हैं, बशर्ते कि विद्यार्थी एम.एस.(आर.) के लिए सभी पाठ्यक्रम आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें **एक्ज़िट** डिग्री की मंजूरी की तारीख से एक वर्ष के भीतर थीसिस को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करना भी शामिल है, (आइटम 7 [1 (डी) जे के मिनट देखें) । इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। विचार-विमर्श के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

मद सं. 9: अनुसमर्थन मद

(i) सीनेट की बैठकों में विद्यार्थी प्रतिनिधियों सहित

सीनेट ने अपनी बैठकों में विद्यार्थी प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए अध्यक्ष, सीनेट के अनुमोदन की पुष्टि की। अध्यक्ष ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों और विशेष आमंत्रितों को धन्यवाद दिया।

(अतुल व्यास/Atul Vyas)

कुलसचिव /Registrar

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

हौज़ खास , नई दिल्ली - 110016

HAUZ KHAS NEW DELHI - 110016

No. IITD/AREG/Senate/235/2025/446156 दिनांक /Date: 15.09.2025

कार्यवृत्त की एक प्रतिलिपि (235वीं बैठक, दिनांक 27 अगस्त,2025) सीनेट के सभी सदस्यों की जानकारी और रिकॉर्ड के लिए भेजी जा रही है। सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी टिप्पणी/प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, तो कृपया यथाशीध्र भेजें।

A copy of the Minutes (235th meeting dated 27th August 2025] is forwarded for favour of information and records of all Members of the Senate. Members are requested to kindly offer their comments/feedback, if any, at the earliest.

यदि 21.09.2025 तक कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि आप रिकॉर्ड किए गए कार्यवृत्त को अनुमोदित करते हैं।

If no comments are received by 21 .09.2025, it will be presumed that they have no comments to offer and they approve of the minutes, as recorded.

(अतुल व्यास/Atul Vyas)

कुलसचिव /Registrar

प्रति/ To:

सभी सीनेट सदस्य /विशेष आमंत्रिती

All Members of the Senate/ Special Invitees

परिशिष्ट-ए

27 अगस्त, 2025 को आयोजित सीनेट की 235वीं बैठक में उपस्थित सदस्य/विशेष आमंत्रितों के नाम:-

1.	प्रो. रंगन बनर्जी-अध्यक्ष
2.	प्रो. अंबुज डी. सागर
3.	प्रो. ए. के. नेमा
4.	प्रो. एन. डी. कुरूर
5.	प्रो. बी. के. पाणिग्रही
6.	प्रो. अनिल वर्मा
7.	प्रो. विवेक वी. बुवा
8.	प्रो. एस. प्रद्युम्न
9.	प्रो. प्रबल तालुकदार
10.	प्रो. श्रीदेवी उपाध्यायुला
11.	प्रो. एस. चटर्जी
12.	प्रो. धन्या सी. टी.
13.	प्रो. शेषन श्रीरंगराजन
14.	प्रो. अमित गुप्ता
15.	प्रो. संतोष कपूरिया
16.	प्रो. बी. पी. पटेल
17.	प्रो. रितु कुलश्रेष्ठ
18.	प्रो. टी. आर. श्रीकृष्णन
19.	प्रो. शिल्पी शर्मा
20.	प्रो. प्रीति श्रीवास्तव
21.	प्रो. शांतनु रॉय
22.	प्रो. सुधासत्व बसु
23.	प्रो. परेश चौकसी
24.	प्रो. दिवेश भाटिया
25.	प्रो. अभिजीत राज
26.	प्रो. एस. नागेंद्रन
27.	प्रो. रवि प्रकाश सिंह
28.	प्रो. प्रमित के.चौधरी
29.	प्रो. वसंत ए. मतसागर
30.	प्रो. देवराज कौशल

31.	प्रो. कुमार नीरज झा
32.	प्रो. संजीव प्रसाद
33.	प्रो. अमिताभ बागची
34.	प्रो. मौसम
35.	प्रो. पराग सिंगला
36.	प्रो. शंकर प्रक्रिया
37.	प्रो. शौनक सेन
38.	प्रो. अनुज धवन
39.	प्रो. एस. जनार्दन
40.	प्रो. जयन जोस थॉमस
41.	प्रो. अर्जुन घोष
42.	प्रो. अभिजीत बनर्जी
43.	प्रो. वर्षा सिंह
44.	प्रो. देबाशीष मंडल
45.	प्रो. अंकुश अग्रवाल
46.	प्रो. सप्तर्षि मुखर्जी
47.	प्रो. दिव्या द्विवेदी
48.	प्रो. सूर्य प्रकाश सिंह
49.	प्रो. सीमा शर्मा
50.	प्रो. जितेंद्र मदान
51.	प्रो. अर्पण के. कर
52.	प्रो. संजय धीर
53.	प्रो. मणि मेहरा
54.	प्रो. संपा साह
55.	प्रो. पी.एम.वी. सुब्बाराव
56.	प्रो. एम.आर. रवि
57.	प्रो. बी. प्रेमचंद्रन
58.	प्रो. एस.के. साहा
59.	प्रो. आशीष के. दर्पे
60.	प्रो. संगीता कोहली
61.	प्रो. नोमेश बोलिया
62.	प्रो. सुप्रीत सिंह बहगा
63.	प्रो. सुजीत चौधरी

64.	प्रो. पंकज श्रीवास्तव
65.	प्रो. आर.के. वार्ष्णेय
66.	प्रो. संकल्प घोष
67.	प्रो. राजेंद्र सिंह ढाका
68.	प्रो. पी.वी.एम. राव
69.	प्रो. वामसी के. कोमराला
70.	प्रो. के.ए. सुब्रमण्यम
71.	प्रो. रमेश नारायणन
72.	प्रो. एस.के. त्यागी
73.	प्रो. साग्निक डे
74.	प्रो. नीतू सिंह
75.	श्री प्रदीप के. गुप्ता
76.	श्री के. नारायणन
77.	प्रो. गिरीश अग्रवाल
78.	प्रो. विवेकानंदन पेरुमल
79.	डॉ. नबी हसन
80.	डॉ. हिमाद्री दास
81.	श्री राकेश बंसल
82.	आशेष मिश्रा
83.	पार्थ गौतम
84.	श्री अतुल व्यास